भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 119**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**उत्तर प्रदेश और बिहार में आश्रय गृहों से बालिकाओं को सुरक्षित बाहर निकाला जाना**

**\*119. श्रीमती झरना दास बैद्यः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में आश्रय गृहों में बालिकाओं के यौन-शोषण के आरोप लगने के बाद कई बालिकाओं को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*

**'उत्तर प्रदेश और बिहार में आश्रय गृहों से बालिकाओं को सुरक्षित बाहर निकाला जाना' विषय पर श्रीमती झरना दास बैद्य द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 119 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (घ) : जी, हां । बच्‍चों के लिए आश्रय गृहों में बच्‍चों के शोषण की क्षुब्‍ध कर देने वाली कुछ घटनाएं हाल ही में मंत्रालय के ध्‍यान में आई हैं । मुज़फ्फरपुर, बिहार में 'सेवा संकल्‍प एवं विकास समिति' तथा पूर्वी उत्‍तर प्रदेश के देवरिया में ''मां विध्‍यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्‍थान'' आश्रय गृहों में बच्‍चों के साथ हुई हिंसा और शोषण की घटनाओं की जानकारी मिली है । बिहार और उत्‍तर प्रदेश राज्‍य सरकारों से कहा गया है कि वे इन घटनाओं के बारे में तथा इन मामलों में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें । संबंधित राज्‍य सरकारों तथा राज्‍य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों ने बच्‍चों को छुड़ाने तथा अन्‍य बाल देखरेख संस्‍थाओं में उनका पुनर्वास करने की कार्रवाई की है । किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में बाल कल्‍याण समितियों, किशोर न्‍याय बोर्डों तथा राज्‍य सरकारों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग अधिदेशित है। मंत्रालय ने अधिनियम में यथा-निर्धारित अनिवार्य मानीटरिंग की आवश्‍यकता पर बल दिया है । आश्रय गृहों में यौन शोषण की क्षुब्‍ध कर देने वाली रिपोर्टों के मद्देनज़र, मंत्रालय ने मुख्‍य सचिवों से कहा है कि बाल देखरेख संस्‍थाएं होने का दावा करने वाले सभी केंद्रों का तत्‍काल निरीक्षण किया जाए और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जाए । राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे जिला मजिस्‍ट्रेट/जिला कलैक्‍टर के पर्यवेक्षण में निरीक्षण कराएं। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रस्‍तुत रिपोर्टों के अनुसार पंजीकृत 8,244 बाल देखरेख संस्‍थाओं (18.09.2018 तक की स्‍थिति के अनुसार) में से 4849 संस्‍थाओं का निरीक्षण किया गया और 539 संस्‍थाओं को विभिन्‍न कारणों से बंद कर दिया गया है । मंत्रालय ने किसी बाल देखरेख संस्‍था में शोषण की किसी अप्रिय घटना के कारण बच्‍चों के जीवन मे विघ्‍न पड़ जाने के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को एक परामर्शी भी जारी की है ।

\*\*\*\*\*

**स्‍थिति संख्‍या : 14**

**'उत्तर प्रदेश और बिहार में आश्रय गृहों से बालिकाओं को सुरक्षित बाहर निकाला जाना' विषय पर श्रीमती झरना दास बैद्य द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को पूछा जाने वाला राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 119**

**कार्यकारी सारांश**

यह प्रश्‍न त्रिपुरा से कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्‍ट) की राज्‍य सभा सांसद श्रीमती झरना दास वैद्य द्वारा पूछा गया है ।

**प्रश्‍न का बल :**

सांसद महोदया ने पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में आश्रय गृहों में बालिकाओं के यौन-शोषण के आरोप लगने के बाद बालिकाओं को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्‍या कार्रवाई की गई है ?

**उत्‍तर का बल :**

उत्‍तर में बच्‍चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए बाल देखरेख संस्‍थाओं की मानीटरिंग के लिए किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार सांविधिक उपबंधों का ब्‍यौरा दिया गया है । उत्‍तर में संबंधित राज्‍य सरकारों और संघ सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का भी उल्‍लेख किया गया है ।

\*\*\*\*\*

**उत्‍तर प्रदेश और बिहार में यौन शोषण के आरोपों की घटनाओं के संबंध में स्‍थिति रिपोर्ट**

 बच्‍चों के लिए आश्रय गृहों में बच्‍चों के शोषण की क्षुब्‍ध कर देने वाली कुछ घटनाएं हाल ही में मंत्रालय के ध्‍यान में आई हैं, जिनके बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बिहार तथा उत्‍तर प्रदेश के समाज कल्‍याण विभागों के प्रमुख सचिवों से रिपोर्ट मंगाई थी । तदनुसार, राज्‍य सरकारों ने सूचित किया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है ।

2. सचिव, म.बा.वि. द्वारा 16 अगस्‍त, 2018 को सभी मुख्‍य सचिवों को यह अनुरोध करते हुए एक अर्द्धशासकीय पत्र भेजा गया था कि वे जिला मजिस्‍ट्रेट के पर्यवेक्षण में बाल देखरेख गृहों का निरीक्षण कराएं और 15 सितम्‍बर, 2018 तक मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें ।

3. बिहार राज्‍य सरकार को 07 अगस्‍त, 2018 के पत्र के अनुसार कहा गया था कि टिस की ''ग्रेव कन्‍सर्नस'' रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में स्‍थिति रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें । इसी प्रकार, उत्‍तर प्रदेश राज्‍य सरकार से भी कहा गया था कि देवरिया घटना के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें । इसके पश्‍चात, मुज़फ्फरपुर (बिहार) तथा देवरिया (उत्‍तर प्रदेश) में बाल देखरेख संस्‍थाओं में बाल शोषण की हाल की घटनाओं के मद्देनज़र बाल संरक्षण के विभिन्‍न पहलुओं पर चर्चा करने तथा बाल देखरेख संस्‍थाओं के निरीक्षण और उनमें सुधार के बारे में राज्‍यों/संघ क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों का जायजा लेने के लिए 18 सितम्‍बर, 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अपर सचिव की अध्‍यक्षता में इंडिया हैबिटेट सैंटर, नई दिल्‍ली में राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया ।

4. राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रस्‍तुत रिपोर्टों के अनुसार 18.09.2018 तक पंजीकृत 8244 बाल देखरेख संस्‍थाओं में से 4849 संस्‍थाओं का निरीक्षण किया गया और 539 संस्‍थाओं को विभिन्‍न कारणों से बंद कर दिया गया ।

5. बिहार राज्‍य सरकार ने बताया है कि इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेजने की सिफारिश की गई है । राज्‍य सरकार ने विभिन्‍न गंभीर आरोपों के अंतर्गत सहायक निदेशक को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और 10 आरोपी व्‍यक्‍तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं । इसके अलावा, टिस रिपोर्ट के अनुपालनार्थ किशोर न्‍याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्‍न उपबंधों के अंतर्गत कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं । इसके अलावा, अन्‍य गृहों के संबंध में टिस रिपोर्ट के मद्देनज़र विभिन्‍न मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं । राज्‍य सरकारों से कहा गया है कि वे मासिक आधार पर निरीक्षण कराएं । इसके अलावा, संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी प्रत्‍येक बाल गृह के अद्यतन संपर्क ब्‍यौरे के साथ-साथ गृहों की सुरक्षा जांच कराएं । सभी बाल गृहों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए पुलिस को अनुदेश दिए गए हैं कि वे किशोर न्‍याय अधिनियम, 2015 तथा पोक्‍सो अधिनियम का कड़ा अनुपालन सुनिश्‍चित करें । इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य सरकारों द्वारा सभी जिला अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे किशोर न्‍याय अधिनियम, 2015 की धारा 54 के अंतर्गत अधिदेश के अनुसार, जिला स्‍तरीय समितियों की नियमित बैठकें और बाल देखरेख गृहों के नियमित निरीक्षण आयोजित कराएं ।

6. इस मंत्रालय के पत्र के प्रत्‍युत्‍तर में, उत्‍तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि उन्‍होंने निम्‍नलिखित कार्रवाई की है :

* गैर-सरकारी संगठन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस मामले की एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है । उक्‍त गृहों (लड़कियों के लिए बाल गृह तथा विशेष दत्‍तक ग्रहण एजेंसी) के लाइसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं और गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डाल दिया गया है ।
* विभिन्‍न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है - तत्‍कालीन जिला अधिकारी श्री अभिषेक कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण प्रभाग से अनुरोध किया गया है कि जिला अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अधिकारी श्री नीरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए । विशेषरूप से सक्षम कल्‍याण प्रभाग से अनुरोध किया गया है कि जिला विशेष सक्षम कल्‍याण अधिकारी श्री अनूप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए । जिला प्रमुख से कहा गया है कि श्री जयप्रकाश तिवारी, बाल कल्‍याण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें । देवरिया घटना में जिला परिवीक्षा अधिकारी श्री प्रभात कुमार की भूमिका की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है । मुख्‍य सचिव (नियुक्‍ति) से कहा गया है कि तत्‍कालीन जिला अधिकारी श्री सुजित कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए । देवरिया के तत्‍कालीन पुलिस अधीक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के श्री राकेश शंकर (24.09.2017 से 24.03.018) तथा श्री रोहन पी कन्‍या (24.03.2018 से 15.08.2018) को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । श्री दयाराम गौड़, क्षेत्र अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है । श्री जटाशंकर सिंह, उप-निरीक्षक तथा श्री विजय सिंह, प्रभारी को पुलिस स्‍टेशन में दर्ज शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न करने के लिए निलंबित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । देवरिया के पुलिस अधीक्षक को तत्‍काल स्‍थानांतरित कर दिया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई शुरू की गई, गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक ने उन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिन्‍होंने शिकायत दर्ज नहीं की थी ।
* जिला मजिस्‍ट्रेट के आदेशानुसार जिले के सभी गृहों का औचक निरीक्षण किया गया है ।
* संवासियों को अन्‍य गृहों में स्‍थानांतरित कर दिया गया है ।
* देवरिया में महिला आश्रय गृह में लड़कियों के शोषण बनाम उत्‍तर प्रदेश राज्‍य महिला एवं बाल विकास विभाग के मामले में एसएलपी संख्‍या 4112/2018 में उत्‍तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 20.08.2018 को इलाहाबाद न्‍यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया गया है ।

**स्‍थिति संख्‍या : 14**

**'उत्तर प्रदेश और बिहार में आश्रय गृहों से बालिकाओं को सुरक्षित बाहर निकाला जाना' विषय पर श्रीमती झरना दास बैद्य द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को पूछा जाने वाला राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 119**

**पूरक प्रश्‍नों हेतु टिप्‍पणी**

**प्रश्‍न सं. 1 : बच्‍चों की देखरेख और संरक्षण के लिए बुनियादी कानून क्‍या है?**

कानून का उल्‍लंघन करने वाले और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के लिए किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बुनियादी कानून हैं । इस अधिनियम के अंतर्गत बच्‍चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्‍यक्‍ति के रूप में परिभाषित किया गया है । यह अधिनियम पूर्ववर्ती किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को संशोधित करके बनाया गया है । इस अधिनियम के क्रियान्‍वयन का दायित्‍व राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों का है ।

**प्रश्‍न सं. 2 : पुराने और नए किशोर न्‍याय अधिनियम, 2015 में क्‍या अंतर है ?**

|  |  |
| --- | --- |
| **किशोर न्‍याय अधिनियम, 2000** | **किशोर न्‍याय अधिनियम, 2015** |
| (i) अधिनियम के अंतर्गत विभिन्‍न प्रक्रियाओं, जैसे बाल कल्‍याण समितियों और किशोर न्‍याय बोर्डों द्वारा निर्णय लेने में विलंब, जिसके फलस्‍वरूप लंबित मामलों की संख्‍या बहुत अधिक थी । (ii) मामलों की जांच में विलंब, जिसके फलस्‍वरूप छोटे-मोटे अपराध करने के लिए बच्‍चों को वर्षों तक गृहों में रहना पड़ता है ।(iii) संस्‍थाओं में बच्‍चों के शोषण की दर्ज घटनाओं में वृद्धि । (iv) गृहों, विशेषकर जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, में अपर्याप्‍त सुविधाएं, देखरेख तथा पुनर्वास उपायों की अपर्याप्‍त गुणवत्‍ता, जिसके फलस्‍वरूप समस्‍याएं उत्‍पन्‍न होती थीं, जैसे बच्‍चे बार-बार अपराध करते थे, बच्‍चों का शोषण होता था और वे भाग जाते थे । (v) दोषपूर्ण और अधूरी कार्रवाई तथा समय-सीमा निर्धारित न होने के कारण दत्‍तक ग्रहण में बाधा और विलंब । (vi) बाल कल्‍याण समिति तथा किशोर न्‍याय बोर्ड की भूमिकाओं, दायित्‍वों, कार्यों और उत्‍तरदायित्‍व के बारे में स्‍पष्‍टता का अभाव । (vii) सुनवाई की प्रक्रिया में बच्‍चे की सीमित भागीदारी, पुनर्वास योजना तथा प्रत्‍येक बच्‍चे के संबंध में सामाजिक जांच रिपोर्ट में विलंब । (viii) कई जिलों में किशोर न्‍याय बोर्डों द्वारा बालोनुकूल प्रक्रियाओं और न्‍यायालयों में बोर्ड की बैठकों के आयोजन की कमी ।(ix) यदि कोई बच्‍चा तथाकथित अपराध के लिए पकड़ा जाता है और बाद में वह निर्दोष साबित होता है तो इस संबंध में आदेश पारित करने के बारे में किसी स्‍थायी प्रावधान की कमी । (x) अधिनियम के अंतर्गत परित्‍यक्‍त गुमशुदा की पर्याप्‍त देखरेख और संरक्षण सुनिश्‍चित करने के लिए ऐसे बच्‍चों के बारे में उपयुक्‍त प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं । (xi) किशोर न्‍याय अधिनियम के अंतर्गत संस्‍थाओं का गैर-पंजीकरण और अनुपालन न करने के लिए किसी दांडिक प्रावधान की कमी के कारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण सुनिश्‍चित करने में राज्‍यों की असमर्थता । (xii) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्‍थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्वास और परिवार से मिलाने की सेवाओं की किसी जांच सूची की कमी । (xiii) शारीरिक दंड, दत्‍तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ बच्‍चों की बिक्री तथा रैगिंग आदि जैसे बच्‍चों के साथ होने वाले अपराधों का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्‍त प्रावधान । (xiv) बच्‍चों द्वारा किए जाने वाले जघन्‍य अपराधों में वृद्धि और इस प्रकार के बच्‍चों के संबंध में किन्‍हीं विशिष्‍ट उपबंधों की कमी ।  | (i) बच्‍चों द्वारा गैर-गंभीर किस्‍म के अपराधों से संबंधित अधिक संख्‍या में लंबित मामलों, जिनमें यह देखा गया है कि बच्‍चों द्वारा किए गए छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित मामले कई वर्षों से लंबित हैं, के निपटान के लिए प्रस्‍तावित कानून में यह प्रावधान है कि यदि ऐसे मामलों में जांच में 6 महीनों के बाद भी कोई निष्‍कर्ष नहीं निकलता है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई को समाप्‍त कर दिया है ।  (ii) संस्‍थाओं में बच्‍चों के शोषण को रोकने के लिए किशोर न्‍याय बोर्ड तथा बाल कल्‍याण समिति द्वारा हर महीने गृहों का कम से कम एक निरीक्षण दौरा करने को अधिनियम में शामिल किया गया है, जिसे पहले कानून के बजाय नियमों में शामिल किया गया था । गृहों के कारगर कार्यकरण के लिए समितियों द्वारा दौरों की संख्‍या और रिपोर्टिंग तंत्र को शामिल करके निरीक्षण समितियों के प्रावधान को सुदृढ़ बनाया जाए ।  (iii) प्रस्‍तावित कानून में दत्‍तक ग्रहण पर एक पृथक नया अध्‍याय शामिल किया गया है । अनाथ, परित्‍यक्‍त और अभ्‍यर्पित बच्‍चों की दत्‍तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मौजूदा केंद्रीय दत्‍तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया है, जिससे कि यह अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सके । इस अध्‍याय में दत्‍तक ग्रहण तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के लिए दंड के संबंध में विस्‍तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं । (iv) किशोर न्‍याय बोर्डों तथा बाल कल्‍याण समितियों की भूमिकाओं, दायित्‍वों और अधिकारों के बारे में अधिक स्‍पष्‍टता लाने के लिए प्रस्‍तावित कानून में इनके बारे में विस्‍तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पहले मॉडल नियमावली, 2007 में शामिल थे । (v) बाल कल्‍याण समिति द्वारा बच्‍चे को 'दत्‍तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्‍त' घोषित करने के संबंध में विस्‍तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें ऐसी घोषणा के लिए समय-सीमा को शामिल किया गया है, अर्थात दो वर्ष तक की आयु के बच्‍चों के लिए 2 माह और दो वर्ष से अधिक आयु के बच्‍चों के लिए 4 माह । (vi) परित्‍यक्‍त अथवा गुमशुदा बच्‍चों के बारे में 24 घंटे के अंदर-अंदर बाल कल्‍याण समिति अथवा स्‍थानीय पुलिस अथवा जिला बाल संरक्षण एकक अथवा चाइल्‍डलाइन सेवा को रिपोर्ट भेजना अनिवार्य बना दिया गया है । रिपोर्ट न भेजने को एक अपराध माना गया है, जिसके लिए 6 महीने तक के कारावास अथवा 10,000/-रुपये के जुर्माने का दंड निर्धारित है । (vii) प्रस्‍तावित कानून में सभी बाल देखरेख संस्‍थाओं के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य बना दिया गया है तथा इसका अनुपालन न करने के लिए कड़ा दंड प्रस्‍तावित है, जिसका कि मौजूदा किशोर न्‍याय अधिनियम में अभाव है ।(viii) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्‍थाओं द्वारा भोजन, आश्रय, कपड़ों, चिकित्‍सा देखरेख, शिक्षा, कौशल विकास, जीवन कौशल शिक्षा, मनोरंजन सुविधाएं, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण और नशामुक्‍ति तथा बीमारी का उपचार, जहां अपेक्षित हो, जन्‍म पंजीकरण आदि जैसी विस्‍तृत पुनर्वास और परिवार में वापसी जैसी सेवाओं की प्रदायगी प्रस्‍तावित है ।  (ix) मौजूदा जे.जे.अधिनियम में बच्चे के खिलाफ किए जाने वाले केवल सीमित अपराध जैसे क्रूरता, शोषण, भिक्षा के लिए रोजगार, नशे वाली शराब या नशीली दवा आदि देने वाले शामिल हैं । बच्चों के खिलाफ किए जाने वाले कई नए अपराधों को जोड़ने का प्रस्ताव है जो अभी तक किसी भी अन्‍य कानून के तहत पर्याप्त रूप से कवर नहीं किए गए हैं जैसे - गैरकानूनी रूप से गोद लेने, शारीरिक दंड, रैगिंग, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चे का उपयोग, विकलांग बच्चों के खिलाफ अपराध और बच्चे के अपहरण और अगवा करने सहित किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद आदि । (x) 16 साल से ऊपर के बच्चों द्वारा किए गए अपमानजनक अपराधों को संबोधित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो ऐसे अपराध करने वाले बच्चों के अपराधियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेंगे । यह कुछ हद तक समाज में बढ़ी हुई अराजकता के मुद्दे को संबोधित करेगा और न्‍याय निमित्‍त पीड़ितों के अधिकारों का संरक्षण करेगा । यदि किशोर न्याय बोर्ड, बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद, अपराध और उसके परिस्थितियों के परिणामों को समझने की क्षमता के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसे मामलों में आगे परीक्षण की आवश्यकता है, तो बोर्ड को इस मामले को बच्चों के न्यायालय में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया है, जो जघन्‍य अपराधों की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार वाला सत्र न्यायालय है । यदि परीक्षण के बाद, बच्चे को अदालत द्वारा एक गंभीर अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे बच्चे को इक्‍कीस साल की उम्र तक सुधार और पुनर्वास के लिए सुरक्षा स्थान पर भेजा जाने का प्रस्ताव है । इक्‍कीस साल की उम्र पूरी करने के बाद, बच्चे का मूल्यांकन बच्चों के न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके बाद बच्चे को या तो प्रोबेशन पर रिहा कर दिया जाएगा अथवा कारावास की शेष अवधि के लिए वयस्क जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।   |

**प्रश्न 3 : किशोर प्‍याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2015 की मुख्‍य विशेषताएं क्‍या हैं ?**

 जेजे एक्‍ट की प्रमुख विशेषताएं निम्‍नलिखित हैं :

* शब्द से जुड़े नकारात्मक अर्थ और कलंक को दूर करने के लिए 'किशोर' से 'बच्चे' या 'कानून की अवहेलना करने वाले बच्चे' के नामकरण में परिवर्तन
* बच्चों द्वारा किए गए अपराधों में छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध की स्पष्ट परिभाषा
* अनाथ, परित्‍यक्‍त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल करना
* जेजेबी तथा सीडब्‍ल्‍यूसी की भूमिकाओं, दायित्‍वों और शक्तियों के बारे में स्‍पष्‍टता
* सदस्यों के बीच संवेदनशीलता लाने के लिए जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की योग्यता और अनुभव। नियुक्ति की तारीख से दो महीने के भीतर सभी सदस्यों की अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण ।
* मामलों के अधिक लंबित होने का समाधान करने की दृष्टि से जेजेबी द्वारा जांच के लिए समय सीमाएं। बच्चों द्वारा छोटे अपराधों के मामले में, अधिनियम छह महीने की अवधि के बाद इस तरह के अपराधों की जांच के मामले में कार्यवाही समाप्त करने का प्रावधान करता है ।
* 16 वर्ष से अधिक आायु के बच्‍चों द्वारा किए गए जघन्‍य अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष प्रावधान जो ऐसे अपराध करने वाले बाल अपराधियों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सके ।
* अनाथ, परित्‍यक्‍त और अभ्‍यर्पित बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु दत्‍तक ग्रहण पर अलग नया अध्याय ।
* मौजूदा केंद्रीय दत्‍तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया ताकि वह अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके ।